VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

MAINS 365

सारांश

सुरक्षा

अहमदाबाद | बेंगलूरु | भोपाल | चंडीगढ़ | दिल्ली | गुवाहाटी | हैदराबाद | जयपुर | जोधपुर | लखनऊ | प्रयागराज | पुणे | राँची

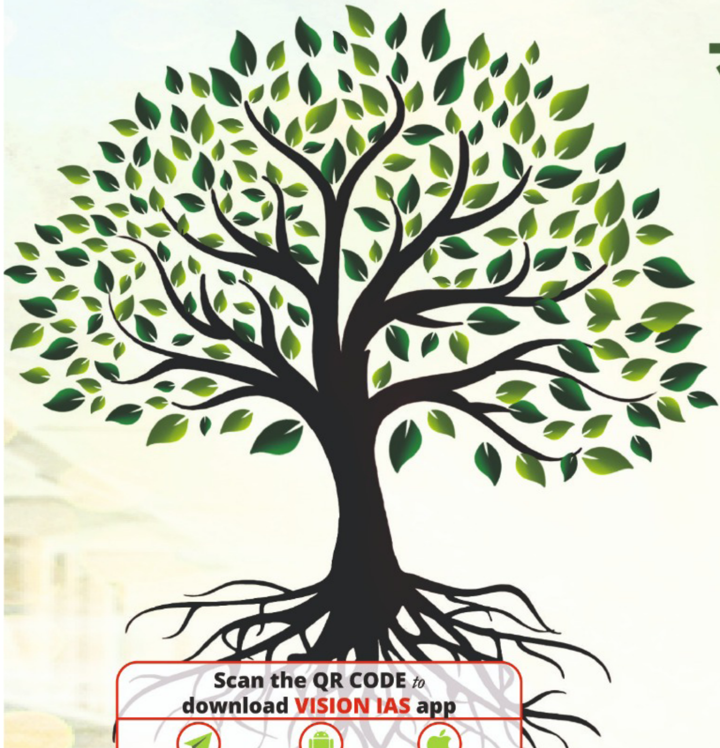

फाउंडेशन कोर्स
सामान्य अध्ययन

प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा 2026

इनोवेटिव क्लासरूम प्रोग्राम

- प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और निबंध के लिए महत्वपूर्ण सभी टॉपिक का विस्तृत कवरेज
- मौलिक अवधारणाओं की समझ के विकास एवं विश्लेषणात्मक क्षमता निर्माण पर विशेष ध्यान
- एनीमेशन, पॉवर प्वाइंट, वीडियो जैसी तकनीकी सुविधाओं का प्रयोग
- अंतर - विषयक समझ विकसित करने का प्रयास
- योजनाबद्ध तैयारी हेतु करेंट ओरिएंटेड अप्रोच
- नियमित क्लास टेस्ट एवं व्यक्तिगत मूल्यांकन
- प्री फाउंडेशन कक्षाएं
- सीसैट कक्षाएं
- PT 365 कक्षाएं
- MAINS 365 कक्षाएं
- PT टेस्ट सीरीज
- मुख्य परीक्षा टेस्ट सीरीज
- निबंध टेस्ट सीरीज
- सीसैट टेस्ट सीरीज
- निबंध लेखन - शैली की कक्षाएं
- करेंट अफेयर्स मैगजीन

नोट: ऑनलाइन छात्र हमारे पाठ्यक्रम की लाइव वीडियो कक्षाएं अपने घर पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं। छात्र लाइव चैट विकल्प के माध्यम से कक्षा के दौरान अपने संदेह और विषय संबंधी प्रश्न पूछ सकते हैं। वे अपने संदेह और प्रश्न नोट भी कर सकते हैं और दिल्ली केंद्र में हमारे कक्षा सलाहकार को बता सकते हैं और हम फोन/मेल के माध्यम से प्रश्नों का उत्तर देंगे।

Scan the QR CODE *to* download **VISION IAS** app

DELHI : 7 अगस्त, 2 PM | **JAIPUR : 20 जुलाई** | **JODHPUR : 10 अगस्त**

UPSC सिविल सेवा परीक्षा 2024 में चयनित सभी उम्मीदवारों को हार्दिक बधाई

10 in Top 10 Selections in CSE 2024 (from various programs of VISIONIAS)

हिन्दी माध्यम में 30+ चयन

137 AIR अंकिता कांति	182 AIR रवि राज	412 AIR जितेंद्र कुमावत	438 AIR ममता	448 AIR सुख राम	483 AIR ईश्वर लाल गुर्जर	509 AIR अमित कुमार यादव
554 AIR विमलोक तिवारी	564 AIR गौरव छिम्वाल	618 AIR राम निवास सियाग	622 AIR आलोक रंजन	651 AIR अनुराग रंजन वत्स	689 AIR खेतदान चारण	718 AIR रजनीश पटेल
731 AIR तेशुकान्त	760 AIR अश्वनी दुबे	795 AIR कर्मवीर नरवाडिया	865 AIR आनंद कुमार मीणा	873 AIR सिद्धार्थ कुमार मीणा	890 AIR सुषमा सागर	893 AIR अरुण मालवीय
895 AIR अजय कुमार	899 AIR रितिक आर्य	911 AIR अरुण कुमार	921 AIR ममता जोगी	925 AIR विजेंद्र कुमार मीणा	953 AIR राजकेश मीणा	998 AIR इकबाल अहमद

विषय सूची

1. राज्य और गैर-राज्य अभिकर्ता (STATE AND NON-STATE ACTORS)

1.1. वामपंथी उग्रवाद (Left Wing Extremism: LWE) 5
1.1.1. अर्बन नक्सलवाद (Urban Naxalism) 5
1.2. पूर्वोत्तर में उग्रवाद (Insurgency in Northeast) 5
1.3. सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम (AFSPA) 1958 {Armed Forces Special Powers Act (AFSPA), 1958} 6

2. आंतरिक सुरक्षा के समक्ष मुख्य खतरे (THREATS TO INTERNAL SECURITY)

2.1. प्रौद्योगिकी और आंतरिक सुरक्षा (Technology and Internal Security) 8
2.1.1. ऑनलाइन कट्टरतावाद (Online Radicalisation) 8
2.1.2. सोशल मीडिया इनफ्लुएंसर्स और राष्ट्रीय सुरक्षा (Social Media Influencers' and National Security) 8
2.1.3. क्रिप्टोकरेंसी और हवाला गठजोड़ (CRYPTOCURRENCY HAWALA NEXUS) 8
2.1.4. राष्ट्रीय सुरक्षा में क्वांटम कंप्यूटिंग की भूमिका (Role of Quantum Computing in National Security) 9
2.2. डेटा संरक्षण (Data Protection) 9
2.2.1. डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम (DPDP), 2023 {Digital Personal Data Protection Act (DPDP), 2023} 9
2.2.2. फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी (Facial Recognition Technology: FRT) 9
2.3. साइबर सुरक्षा (Cyber Security) 9
2.3.1. साइबर अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (United Nations Convention on Cybercrime) 10
2.4. भू-स्थानिक डेटा और राष्ट्रीय सुरक्षा (Geospatial Data and National Security) 10
2.5. मनी लॉन्ड्रिंग और तस्करी (Money Laundering and Smuggling) 10
2.5.1. मनी-लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण (ML/TF) {Money Laundering and Terrorist Financing (ML/TF)} 10
2.5.2. वित्तीय कार्रवाई कार्य-बल (FATF) {Financial Action Task Force (FATF)} 11
2.5.3. मादक पदार्थों की तस्करी (Drug Trafficking in India) 11
2.6. भारत में आतंकवाद (Terrorism In India) 12
2.6.1. भारत का नया सुरक्षा सिद्धांत (India's New Security Doctrine) 12
2.6.2. राज्य प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ भारत के कूटनीतिक प्रयास (India's Diplomatic Outreach Against State Sponsored Terrorism) 12
2.6.3. सीमा-पार संगठित अपराध: एक नज़र में (Transnational Organised Crimes at a Glance) 13
2.7. युद्ध के उभरते आयाम (Emerging Dimensions of Warfare) 13
2.7.1. आधुनिक वारफेयर में अडैप्टिव डिफेंस और अग्रणी प्रौद्योगिकियां (Adaptive Defense and Frontier Technologies in Modern Warfare) 13
2.7.2. हाइब्रिड वारफेयर (Hybrid Warfare) 13
2.8. अंतरिक्ष का शस्त्रीकरण (Space Weaponization) 14

3. सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा संबंधी चुनौतियां और उनका प्रबंधन (Security Challenges and their Management in Border Areas)

3.1. कारगिल युद्ध के 25 साल (25 Years of Kargil War) 16
3.2. समुद्री सुरक्षा (Maritime Security) 16

4. सुरक्षा बल (Security Forces)

4.1. रक्षा आधुनिकीकरण (Defence Modernisation) 17
4.1.1. सशस्त्र बलों का आधुनिकीकरण (Modernisation of Armed Forces) 17
4.2. एकीकृत थिएटर कमान (Integrated Theatre Commands: ITCs) 17
4.3. वैश्विक एजेंसियां (Global Agencies) 17
4.3.1. इंटरपोल (INTERPOL) 17

5. विविध (MISCELLANEOUS)

5.1. परमाणु शस्त्रागार में वृद्धि (RISE IN NUCLEAR WEAPONS ARSENAL) 20
5.2. भारत के परमाणु सिद्धांत के 25 वर्ष (25 years of India's Nuclear doctrine) 20
5.3. जैविक हथियार अभिसमय (BIOLOGICAL WEAPONS CONVENTION: BWC) 21
5.4. पांचवीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान AMCA (Fifth-Generation Fighter Jet AMCA) 21
5.5. भारत की वायु रक्षा प्रणाली (India's Air Defence System: ADS) 22
5.6. मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री-एंट्री व्हीकल (MIRV) तकनीक {Multiple Independently Targetable Re-entry Vehicle (MIRV) Technology} 22
5.7. निर्देशित ऊर्जा हथियार (Directed Energy Weapons: DEWs) 22

अभ्यर्थियों के लिए संदेश

प्रिय अभ्यर्थियों,

- आपकी सहायता के लिए, हमने VisionIAS मेन्स 365 स्टडी मटेरियल से आवश्यक जानकारी का संकलन कर मेन्स 365 सुरक्षा डॉक्यूमेंट का सारांश तैयार किया है। जैसा कि आप सभी को पता है **VisionIAS** का Mains 365 स्टडी मटेरियल करेंट अफेयर्स के व्यापक कवरेज के लिए प्रसिद्ध है।
- Mains 365 सुरक्षा डॉक्यूमेंट के सारांश में सुरक्षा संबंधी महत्वपूर्ण मुद्दों का व्यापक अवलोकन प्रदान किया गया है। साथ ही, आपके UPSC मेन्स के लिए इन घटनाक्रमों के महत्व, संबंधित सरोकारों, आगे की राह आदि को भी इसमें शामिल किया गया है।
- यह डॉक्यूमेंट आपको प्रमुख टॉपिक को जल्दी और प्रभावी ढंग से रिवाइज करने में मदद करेगा।
- अपनी तैयारी में सुधार करने और UPSC मेन्स में अच्छा प्रदर्शन सुनिश्चित करने के लिए इन जानकारियों का उपयोग कीजिए।

1. राज्य और गैर-राज्य अभिकर्ता (STATE AND NON-STATE ACTORS)

1.1. वामपंथी उग्रवाद (Left Wing Extremism: LWE)

- **स्थिति: 2010 से 2024 के बीच** वामपंथी उग्रवाद से जुड़ी हिंसक घटनाओं में **81% की कमी** दर्ज की गई है।
- **LWE के उद्भव के लिए उत्तरदायी कारक:** जल, जंगल और जमीन; भूमि हदबंदी कानूनों को सही ढंग से लागू न कर पाना; खराब स्वास्थ्य देखभाल व शिक्षा सुविधाएं; कुछ राज्यों द्वारा PESA अधिनियम, 1996 को लागू न करना आदि।

भारत में LWE में कमी आने के कारण	
रणनीति: राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना (2015), समाधान (SAMADHAN) आदि।	**विकासात्मक:** वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिलों में 178 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय; विशेष केंद्रीय सहायता (SCA); वित्तीय समावेशन आदि।

LWE को नियंत्रित करने में मौजूद चुनौतियां

- प्रौद्योगिकी का दुरुपयोग (डार्क वेब, मनी लॉन्ड्रिंग के लिए आभासी मुद्राएं आदि);
- दुर्गम भूभाग (झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा के जंगल आदि);
- सीमित सुरक्षा अवसंरचना/ खुफिया एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय नहीं होना आदि।

आगे की राह

स्थानीय लोगों का भरोसा जीतना:	**सुरक्षा व्यवस्था और क्षमता निर्माण:**	**केंद्र-राज्य में समन्वय:**
जनजातीय-अनुकूल भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास नीतियों को लागू करना चाहिए (बंद्योपाध्याय समिति)।	स्थानीय पुलिस का आधुनिकीकरण; ग्रेहाउंड्स आदि।	उग्रपंथ को खत्म करने और भूमिकाओं एवं जिम्मेदारियों का स्पष्ट निर्धारण करने में।

1.1.1. अर्बन नक्सलवाद (Urban Naxalism)

- **परिभाषा:** माओवादी तत्वों द्वारा शहरों में ऐसे संगठनों के माध्यम से संचालन करना, जो **ऊपर से तो वैध लगते** हैं, लेकिन वास्तव में वे **भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) का समर्थन** कर रहे होते हैं।
  - ये समूह गुप्त रूप से कार्य करते हैं तथा विशेष रूप से युवाओं, छात्रों, महिलाओं और अल्पसंख्यक समुदायों के बीच माओवादी विचारधारा फैलाने का प्रयास करते हैं। **इन समुदायों को एहसास कराया जाता है कि वे उत्पीड़ित हैं।**
- **कार्य:**
  - पेशेवर क्रांतिकारियों की भर्ती,
  - धन जुटाना,
  - शहरों में आश्रय की व्यवस्था करना,
  - कानूनी सहायता प्रदान करना,
  - विरोध-प्रदर्शन के माध्यम से जन-समर्थन जुटाना, आदि।

निष्कर्ष

अर्बन नक्सलवाद देश की प्रगति में बाधा डालता है। समावेशी विकास और शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक सहभागिता इस खतरे से निपटने के लिए महत्वपूर्ण है

1.2. पूर्वोत्तर में उग्रवाद (Insurgency in Northeast)

पूर्वोत्तर भारत में उग्रवाद के मुख्य कारण			
बड़े पैमाने पर प्रवास/ **नृजातीय प्रतिद्वंद्विता।** उदाहरण के लिए- मणिपुर में मैतेई बनाम कुकी।	**छिद्रिल अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं।** उदाहरण के लिए- मणिपुर-म्यांमार।	**शासन-व्यवस्था और आर्थिक गतिविधियों का अभाव।**	**AFSPA** कानून के कारण मुख्यधारा से **अलगाव की भावना।**

- **उठाए गए कदम:**
  - शांति समझौता, जैसे- नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा समझौता।

- रणनीतिक कनेक्टिविटी बढ़ाना, जैसे- उड़ान योजना।
- अवसंरचना निर्माण, जैसे मणिपुर में राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय की स्थापना।
- संस्कृतियों को बढ़ावा देना, जैसे- **असम के चराइदेव मोइदम्स को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल** किया गया।

आगे की राह

- सुरक्षा बलों की संख्या में कमी करना,अफस्पा अधिनियम:
- AFSPA कानून के मामले में संतोष हेगड़े समिति (2013) और न्यायमूर्ति वर्मा समिति (2013) की सिफारिशों को लागू करना आदि।

1.3. सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम (AFSPA) 1958 {Armed Forces Special Powers Act (AFSPA), 1958}

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने **मणिपुर के जिरीबाम** समेत **"अशांत क्षेत्रों"** में फिर से **सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम (AFSPA) 1958** लागू कर दिया।

AFSPA के मुख्य प्रावधानों पर एक नजर			
लोक व्यवस्था बनाए रखने के लिए **अशांत क्षेत्र की घोषणा करना।**	**सशस्त्र बल के कार्मिकों को उन्मुक्ति**	**संभावित कम देरी** के साथ गिरफ्तार व्यक्ति के खिलाफ **न्यायिक प्रक्रिया शुरू करना।**	**असम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों** में लागू है।

AFSPA के प्रवर्तन से जुड़ी चिंताएं

- मौलिक अधिकारों का उल्लंघन।
- जवाबदेही का अभाव।
- शासन-व्यवस्था का सैन्यीकरण।
- अंतर्राष्ट्रीय कानून के विरुद्ध।

सुप्रीम कोर्ट के निर्णय

- **(नागा पीपल्स मूवमेंट मामला 1997)** किसी व्यक्ति को गोली मारने की शक्ति का प्रयोग निर्धारित परिस्थितियों में करना होगा।
- **(एक्स्ट्रा ज्यूडिशियल एग्जीक्यूशन मामला 2016)** सशस्त्र बलों की अशांत क्षेत्रों में भी की गई ज्यादतियों के लिए जांच की जा सकती है।

समितियों की सिफारिशें

- **(न्यायमूर्ति बी.पी. जीवन रेड्डी समिति (2004)** AFSPA को समाप्त करना।
- **(संतोष हेगड़े समिति 2013)** हर छह महीने में AFSPA अधिनियम की समीक्षा करना।
- **(न्यायमूर्ति वर्मा समिति 2013)** सशस्त्र बलों द्वारा महिलाओं के खिलाफ यौन हिंसा पर आम आपराधिक कानूनों के तहत मुक़दमा चलाना।

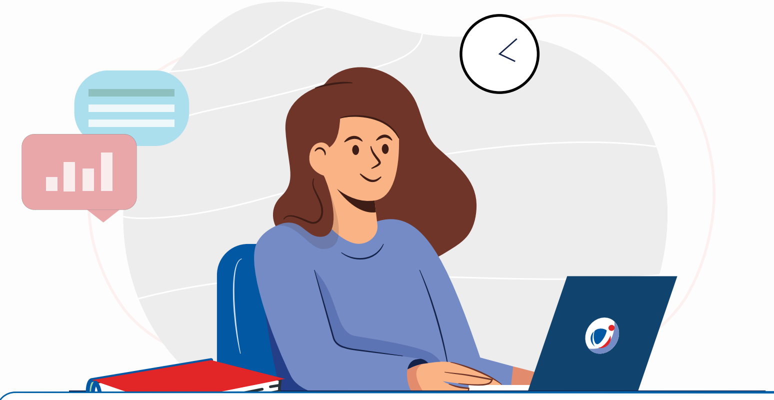

VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

CSAT में महारत: UPSC प्रीलिम्स के लिए एक रणनीतिक रोडमैप

UPSC प्रीलिम्स सिविल सेवा परीक्षा का पहला एवं अत्यधिक प्रतिस्पर्धी चरण है। प्रीलिम्स एग्जाम में ऑब्जेक्टिव प्रकार के दो पेपर होते हैं: सामान्य अध्ययन (GS) और सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट (CSAT)। ये दोनों पेपर अभ्यर्थियों के ज्ञान, समझ और योग्यता का आकलन करते हैं।

पिछले कुछ सालों में CSAT पेपर के कठिन हो जाने से इसमें 33% का क्वालीफाइंग स्कोर प्राप्त करना भी कई अभ्यर्थियों के लिए चुनौतीपूर्ण हो गया है। अतः इस पेपर को क्वालीफाइ करने के लिए अभ्यर्थियों को टाइम मैनेजमेंट के साथ-साथ CSAT में कठिनाई के बढ़ते स्तर के साथ सामंजस्य बिठाना और GS पेपर के साथ संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। साथ ही, इसमें गुणवत्तापूर्ण प्रैक्टिस मटेरियल से भी काफी मदद मिलती है। ये सारी बातें एक सुनियोजित रणनीति के महत्त्व को रेखांकित करती हैं।

इंस्टैंट पर्सनलाइज्ड मेंटरिंग के लिए
QR कोड को स्कैन करें

CSAT की तैयारी के लिए रणनीतिक रोडमैप

शुरुआत में स्व-मूल्यांकन: सर्वप्रथम पिछले वर्ष के CSAT के पेपर को हल करके हमें अपना मूल्यांकन करना चाहिए। इससे हमें अपने मजबूत एवं कमजोर पक्षों की पहचान हो सकेगी और हम उसी के अनुरूप अपनी तैयारी में सुधार कर सकेंगे।

स्टडी प्लान: अधिकतम अंक प्राप्त कर सकने वाले टॉपिक पर फोकस करते हुए एवं विश्वसनीय अध्ययन स्रोतों का चयन कर, एक व्यवस्थित स्टडी प्लान तैयार करें।

रेगुलर प्रैक्टिस एवं पोस्ट-टेस्ट एनालिसिस: पिछले वर्ष के पेपर एवं मॉक टेस्ट को हल करके तथा उनका विश्लेषण करके हम एग्जाम के पैटर्न एवं किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इससे परिचित हो सकते हैं। इस अप्रोच से CSAT के व्यापक सिलेबस को प्रभावी ढंग से कवर करने के लिए एक बेहतर रणनीति तैयार करने में मदद मिलेगी।

व्यक्तिगत मेंटरशिप प्राप्त करें: CSAT की बेहतर तैयारी के लिए अपने अनुरूप रणनीति विकसित करने हेतु मेंटर से जुड़ें। इससे आप अपने स्ट्रेस को दूर कर सकेंगे और साथ ही फोकस्ड एवं संतुलित तैयारी कर पाएंगे।

रीजनिंग: क्लॉक, कैलेंडर, सीरीज एंड प्रोग्रेशन, डायरेक्शन, ब्लड-रिलेशन, कोडिंग-डिकोडिंग एवं सिलोगिज़्म जैसे विभिन्न प्रकार टॉपिक के प्रश्नों का अभ्यास करके अपने तार्किक और विश्लेषणात्मक क्षमताओं को बेहतर बनाएं।

एग्जाम के पैटर्न को समझने एवं प्रश्नों को हल करने के लिए स्टेप-बाय-स्टेप अप्रोच को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करें।

गणित एवं बेसिक न्यूमेरेसी: बेसिक कॉन्सेप्ट के रिवीजन एवं रेगुलर प्रैक्टिस के जरिए मूलभूत गणितीय अवधारणाओं पर अपनी पकड़ को मजबूत करें।

तेजी से कैल्कुलेशन करने के लिए शॉर्टकट और मेंटल मैथ टेक्निक का उपयोग करें।

रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन: नियमित रूप से अखबार पढ़कर अपनी पढ़ने की गति और समझ में सुधार करें। समझ बढ़ाने के लिए पैराग्राफ को संक्षेप में लिखने का अभ्यास करें और उसमें निहित मुख्य विचारों का पता लगाएं।

VisionIAS के CSAT क्लासरूम प्रोग्राम से जुड़कर अपनी CSAT की तैयारी को मजबूत बनाएं। इस कोर्स को अभ्यर्थियों में बेसिक कॉन्सेप्ट विकसित करने और उनकी प्रॉब्लम-सॉल्विंग क्षमताओं एवं क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इस कोर्स की मुख्य विशेषताएं हैं- ऑफ़लाइन/ ऑनलाइन और रिकॉर्ड की गई कक्षाएं, वन-टू-वन मेंटरिंग सपोर्ट और ट्यूटोरियल्स के जरिए नियमित प्रैक्टिस। यह आपको CSAT में महारत हासिल करने की राह पर ले जाएगा।

रजिस्टर करने और ब्रोशर डाउनलोड करने के लिए QR कोड को स्कैन करें

हमारे **ऑल इंडिया CSAT टेस्ट सीरीज एवं मेंटरिंग प्रोग्राम** के साथ अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएं, जिसमें शामिल हैं:

- UPSC CSAT के सिलेबस का विस्तार से कवरेज
- वन-टू-वन मेंटरिंग
- फ्लेक्सिबल टेस्ट शेड्यूल और इनोवेटिव असेसमेंट सिस्टम
- प्रत्येक टेस्ट पेपर की विस्तार से व्याख्या
- लाइव ऑनलाइन/ ऑफ़लाइन टेस्ट डिस्कशन एवं पोस्ट टेस्ट एनालिसिस

VisionIAS से जुड़कर सिविल सेवाओं में शामिल होने की अपनी यात्रा शुरू करें, जहां हमारी विशेषज्ञता और सपोर्ट सिस्टम से आपके सपने पूरे हो सकते हैं।

2. आंतरिक सुरक्षा के समक्ष मुख्य खतरे (THREATS TO INTERNAL SECURITY)

2.1. प्रौद्योगिकी और आंतरिक सुरक्षा (Technology and Internal Security)

2.1.1. ऑनलाइन कट्टरतावाद (Online Radicalisation)

कट्टरतावाद (Radicalisation) के लिए जिम्मेदार कारक	
प्रतिकर्ष कारक ❖ **आर्थिक कारक:** बेरोजगारी, गरीबी ❖ **सामाजिक कारक:** हाशियाकरण, भेदभाव ❖ **राजनीतिक कारक:** राजनीतिक संस्थाओं में भरोसा समाप्त हो जाना।	**अपकर्ष कारक** ❖ आर्थिक प्रलोभन ❖ ऑनलाइन दुष्प्रचार ❖ **संकटों का फायदा उठाना:** जैसे इजरायल-गाज़ा संघर्ष

- **ऑनलाइन कट्टरतावाद को बढ़ावा देने वाले कारक:** इको चैंबर, माइक्रो-टारगेटिंग और प्रोफाइलिंग, साइबर अपराध को टूल के रूप में उपयोग करना, आतंकवाद का वित्त-पोषण आदि।
- **चुनौतियां:** डिजिटल माध्यमों तक आसान पहुंच होना (लगभग 67% वैश्विक आबादी इंटरनेट से जुड़ी हुई है); गुमनामी और गोपनीयता; मनोवैज्ञानिक तरीके से फंसाना; कानून में कमियां आदि।
- **ऑनलाइन कट्टरतावाद को रोकने में सहायक प्रमुख पहलें:**
  - **भारत:** IT अधिनियम, I4C; MeitY की निगरानी; सही रास्ता; ऑपरेशन सद्भावना; ऑपरेशन पिजन आदि।
  - वैश्विक: आतंकवाद से निपटने के लिए तकनीकों का उपयोग; क्राइस्टचर्च कॉल; इंटरपोल; भारतपोल आदि।
- **आगे की राह:** गलत धारणाओं के प्रसार को रोकना; जवाबदेही तय करना (उदाहरण के लिए- जर्मनी का नेट्ज़ कानून); पीड़ित लोगों को पुनर्वास सहायता प्रदान करना; अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाना आदि।

2.1.2. सोशल मीडिया इनफ्लुएंसर्स और राष्ट्रीय सुरक्षा (Social Media Influencers' and National Security)

सुर्ख़ियों में क्यों?

सोशल मीडिया इनफ्लुएंसर **ज्योति मल्होत्रा पर 1923 के आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 152** के तहत मामला दर्ज किया गया।

राष्ट्रीय सुरक्षा को सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स से खतरा			
मनोवैज्ञानिक युद्ध को बढ़ावा देना (झूठी जानकारी व विदेशी ताकतों के विचारों को फैलाकर)	**जासूसी** (संवेदनशील जानकारी साझा करके)	**ध्रुवीकरण और सांप्रदायिक तनाव** (घृणास्पद भाषण, हिंसा भड़काना)	**अलगाववादी एजेंडा, और आतंकवादी प्रचार** (युवाओं को कट्टरपंथी बनाना)

- **भारत द्वारा उठाए गए कदम:** आईटी अधिनियम 2000 - धारा 69A; आईटी नियम 2021; PIB फैक्ट चेक यूनिट (FCU) आदि।

2.1.3. क्रिप्टोकरेंसी और हवाला गठजोड़ (CRYPTOCURRENCY HAWALA NEXUS)

सुप्रीम कोर्ट ने **बिटकॉइन ट्रेडिंग को हवाला लेन-देन का एक आधुनिक रूप** माना।

क्रिप्टो-हवाला गठजोड़		
क्रिप्टोकरेंसी: क्रिप्टोग्राफी द्वारा सुरक्षित डिजिटल मुद्रा (जैसे, बिटकॉइन)।	**हवाला प्रणाली:** एजेंटों के माध्यम से अनौपचारिक धन हस्तांतरण; धन शोधन व आतंकवाद के वित्त-पोषण से संबद्ध।	**गठजोड़ की कार्य-प्रणाली:** ब्लॉकचेन नोड्स हवालादारों के समान होते हैं।

चिंताएं

- अवैध उपयोग को बढ़ावा देता है (धन शोधन, आतंकवाद का वित्त-पोषण, कर चोरी आदि);
- पारंपरिक बैंकिंग से बचता है, पता लगाना मुश्किल है (गुप्त पते, रिंग सिग्नेचर आदि);
- वैश्विक पहुंच और भारत में विनियामक कमियां इत्यादि।

आगे की राह: वैश्विक सहयोग, संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम, तकनीकी अनुपालन, ब्लॉकचेन विश्लेषण, VTAC, TRM लैब्स, मज़बूत विनियम, **FATF, EU MiCA, समग्र रणनीति,** AI, मशीन लर्निंग आदि।

2.1.4. राष्ट्रीय सुरक्षा में क्वांटम कंप्यूटिंग की भूमिका (Role of Quantum Computing in National Security)

नीति आयोग ने "क्वांटम कंप्यूटिंग: राष्ट्रीय सुरक्षा निहितार्थ और रणनीतिक तैयारी" पर एक रणनीतिक-पत्र जारी किया।

- **क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में:** यह पारंपरिक कंप्यूटरों की क्षमता से परे समस्याओं को हल करने के लिए **क्वांटम यांत्रिकी** का उपयोग करती है। **क्यूबिट** मूल इकाई हैं।

क्वांटम कंप्यूटिंग राष्ट्रीय सुरक्षा की धारणा को कैसे बदल रही है?			
मौजूदा एन्क्रिप्शन को तोड़ सकती है, जिससे इंटरनेट सुरक्षा प्रणाली अप्रासंगिक हो जाएगी।	संचार को इंटरसेप्ट/ डिकोड करने के लिए सिग्नल इंटेलिजेंस (SIGINT) को बेहतर बनाएगी।	**लॉजिस्टिक्स और युद्ध क्षेत्र की रणनीति बनाने में सहायक;** स्वचालित सैन्य ड्रोन और रोबोटिक सिस्टम्स में सुधार कर सकती है।	**इकोनॉमिक वारफेयर** (वित्तीय बाजारों को अस्थिर करना, बैंकिंग को खतरे में डालना, बौद्धिक संपदा चोरी को बढ़ावा देना आदि)।

- **भारत की प्रमुख पहलें:** राष्ट्रीय क्वांटम मिशन (NQM), **क्वेस्ट कार्यक्रम (DST),** आईआईटी मद्रास क्वांटम कंप्यूटिंग केंद्र (CQuICC), QNu लैब्स, C-DOT क्वांटम लैब, क्वांटम कुंजी वितरण (QKD) आदि।
- **आगे की राह:** पोस्ट-क्वांटम क्रिप्टोग्राफी (PQC), क्वांटम टास्क फोर्स, क्रिप्टोग्राफिक इंटेलिजेंस ऑडिट्स, वैश्विक सहयोग- भारत-यूरोपीय संघ, प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियां, क्रिप्टो एजिलिटी फ्रेमवर्क, लचीला अनुसंधान एवं विकास वित्त-पोषण आदि।

2.2. डेटा संरक्षण (Data Protection)

2.2.1. डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम (DPDP), 2023 {Digital Personal Data Protection Act (DPDP), 2023}

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने DPDP अधिनियम, 2023 को लागू करने के लिए डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण नियम, 2025 का मसौदा जारी किया।

DPDP अधिनियम, 2023 के मुख्य प्रावधान			
अनिवार्य सहमति और डेटा उपयोग के लिए स्पष्ट सूचना	डेटा उल्लंघन रिपोर्टिंग	**विनियमित सीमा-पार डेटा ट्रांसफर**	शिकायत निवारण और डेटा को समय पर डिलीट करना

- **मुद्दे:** सरकारों को व्यक्तिगत डेटा के उपयोग से गोपनीयता को खतरा; डेटा पोर्टेबिलिटी या डेटा डिलीट करने का अधिकार नहीं; सीमा-पार ट्रांसफर में शिथिलता; नुकसान (जैसे पहचान की चोरी); डेटा संरक्षण बोर्ड की कमजोर स्वतंत्रता आदि।
- **आगे की राह:** वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाएं (EU-US फ्रेमवर्क); द्विपक्षीय डेटा समझौते; विनियामक अपडेशन के लिए AI-प्राइवेसी टास्क फोर्स; छूट के लिए स्पष्ट प्रक्रिया और संप्रभुता की स्पष्ट परिभाषा आदि।

2.2.2. फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी (Facial Recognition Technology: FRT)

नीति आयोग ने 'रिस्पांसिबल AI फॉर ऑल' नामक 'व्हाइट पेपर जारी किया है। इसमें फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी (FRT)' पर विचार किया गया है।

- **FRT के बारे में:** पहचान के लिए छवियों या वीडियो का उपयोग करने वाली AI-आधारित प्रणाली।

FRT के उपयोग	
सुरक्षा संबंधी	कानून प्रवर्तन, भीड़ निगरानी, लापता व्यक्ति आदि।
सुरक्षा से संबंधित नहीं	पहचान सत्यापन, संपर्क रहित सेवाएं, शिक्षा तक पहुंच आदि।

- **चिंताएं:** पूर्वाग्रह और गलत पहचान, गोपनीयता का उल्लंघन, जवाबदेही का अभाव, सुरक्षा जोखिम आदि।
- **नीति आयोग की सिफारिशें:** गोपनीयता व वैधता, गवर्नेंस, डिज़ाइन द्वारा गोपनीयता, जवाबदेही, समीक्षा और मार्गदर्शन हेतु नैतिकता समिति आदि।

2.3. साइबर सुरक्षा (Cyber Security)

परिभाषा: संगठनों/ व्यक्तियों/ नेटवर्क्स को डिजिटल हमलों से बचाने के लिए लोगों, प्रक्रियाओं और प्रौद्योगिकी का अभिसरण।

साइबर सुरक्षा की आवश्यकता			
इंटरनेट का हथियारीकरण (आतंकवादियों की भर्ती/ वित्त-पोषण)	**साइबरस्पेस वारफेयर** (आवश्यक सेवाओं को अक्षम करना, डेटा चोरी करना आदि)	**उभरती हुई प्रौद्योगिकियां** (AI/ ML का दोहरा उपयोग)	सुभेद्य वर्गों की **सुरक्षा**

- **कानूनी/ नीतिगत:** साइबरस्पेस संचालन के लिए संयुक्त सिद्धांत 2024, राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति, आईटी अधिनियम 2000 (2008 में संशोधित), राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति आदि।
- **संस्थागत:** CERT-In, NCIIPC, भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र आदि।
- **चुनौतियां:** भारी निवेश की आवश्यकता, नीतिगत मुद्दे (व्यापक राष्ट्रीय संरचना का अभाव), सीमा-पार प्रकृति, डेटा उपनिवेशवाद (विदेशी डेटा अभिरक्षा)।

आगे की राह

- डेटा स्थानीयकरण **(न्यायमूर्ति बी.एन. श्रीकृष्ण समिति);**
- साइबर सुरक्षा के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल;
- सूचना साझाकरण और विश्लेषण केंद्र (ISAC) स्थापित करना;
- वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं से सीखना (टालिन मैनुअल 2.0); आदि।

2.3.1. साइबर अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (United Nations Convention on Cybercrime)

साइबर अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन, **साइबर अपराध पर पहली कानूनी रूप से बाध्यकारी वैश्विक संधि है।**

- उद्देश्य, विशेष रूप से विकासशील देशों में साइबर अपराध से निपटने के लिए समर्थन देना।

मुख्य प्रावधान				
अंतर्राष्ट्रीय सहयोग (पारस्परिक कानूनी सहायता, प्रत्यर्पण आदि)।	प्रक्रियात्मक उपाय (इलेक्ट्रॉनिक डेटा का संरक्षण/ जब्ती आदि)।	डेटा संरक्षण (गोपनीयता कानून, सुरक्षा उपाय आदि)।	मानवाधिकार संरक्षण।	कुछ कृत्यों का अपराधीकरण (अनधिकृत पहुंच, बाल यौन शोषण, साइबर अपराध से धन-शोधन आदि)।

आवश्यकता

- बढ़ते साइबर खतरे (दक्षिण-पूर्व एशिया में बढ़ रहे हैं, अर्थव्यवस्थाओं/ बुनियादी ढांचे को प्रभावित कर रहे हैं आदि)।
- सीमा पार जांच (अपराध की वैश्विक प्रकृति)।
- तेज गति से तकनीकी विकास (AI, 3डी प्रिंटिंग आदि)।

2.4. भू-स्थानिक डेटा और राष्ट्रीय सुरक्षा (Geospatial Data and National Security)

परिभाषा: स्थान, विशेषता और समय तत्वों के साथ पृथ्वी से संबंधित डेटा।

राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भू-स्थानिक डेटा का महत्व				
GPS के माध्यम से खुफिया जानकारी और निगरानी।	समुद्री और स्थितिजन्य जागरूकता (जैसे, UAVs)।	सैन्य रसद और रणनीतिक योजना।	सुरक्षा आधुनिकीकरण (जैसे- अपराध का पूर्वानुमान, निर्देशित हथियार आदि)।	हाइब्रिड युद्ध और साइबर खतरों से निपटना।

- **चुनौतियां:** कौशल की कमी, सीमित उच्च-रिज़ॉल्यूशन डेटा, शोध के लिए अल्प वित्त-पोषण, **बिखरा हुआ शोध,** डेटा सुरक्षा जोखिम, गोपनीयता संबंधी खामियां, खराब अंतर-सरकारी समन्वय आदि।
- **भारत द्वारा उठाए गए कदम:** राष्ट्रीय भू-स्थानिक नीति 2022, राष्ट्रीय मानचित्र नीति, भू-प्रेक्षण उपग्रह, भारतमैप्स, भुवन, **पीएम गति शक्ति, स्वामित्व, आदि।**

2.5. मनी लॉन्ड्रिंग और तस्करी (Money Laundering and Smuggling)

2.5.1. मनी-लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण (ML/TF) {Money Laundering and Terrorist Financing (ML/TF)}

FATF ने **"आतकवादियों के वित्त-पोषण से जुड़े जोखिमों पर व्यापक अपडेट (2025) (Comprehensive Update on Terrorist Financing Risks)"** रिपोर्ट जारी की। इसमें **राज्य प्रायोजित आतंकवाद को आतंकवाद का वित्त-पोषण** माना गया है।

अवधारणाएं		
मनी लॉन्ड्रिंग (धन शोधन)	• **गैर-कानूनी तरीके से अर्जित आय को वैध** दिखाया जाता है। • इसका उपयोग **हथियारों की तस्करी, संगठित अपराध, आतंकवाद के वित्त-पोषण, नशीली दवाओं और मानव तस्करी** में किया जाता है।	**तरीके:** हवाला, क्रिप्टोकरेंसी, शेल कंपनियां, बड़े पैमाने पर नकद की तस्करी आदि।

आतंकवाद का वित्त-पोषण	❖ **वैध स्रोतों** (जैसे- व्यवसाय और चैरिटी) और **आपराधिक स्रोतों** (जैसे- नशीली दवाओं का व्यापार, हथियारों की तस्करी, और फिरौती) से आतंकी गतिविधियों को वित्त-पोषित किया जाता है।	**तरीके:** ऑनलाइन क्राउडफंडिंग (दान के रूप में), व्यक्तिगत आतंकवादियों द्वारा, माइक्रोफाइनेंसिंग, गेमिंग प्लेटफॉर्म आदि।

- **चुनौतियां:** 69% देशों में प्रवर्तन का अभाव है; **PMLA के तहत प्रवर्तन निदेशालय (ED) की दोषसिद्धि दर केवल 4.6% है;** VDAs गुमनाम हस्तांतरण को संभव बनाते हैं; कर-मुक्त क्षेत्र, कमजोर समन्वय, कमजोर राजनीतिक इच्छाशक्ति आदि।
- **पहलें:**
  - **भारत:** काला धन अधिनियम, 2015, PMLA, 2002, प्रवर्तन निदेशालय (ED), वित्तीय खुफिया इकाई-भारत (FIU-IND), VDAs पर कर लगाना (क्रिप्टो पर 30% आयकर, 1% TDS) आदि।
  - **वैश्विक:** FATF, वियना कन्वेंशन, मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ वैश्विक कार्यक्रम आदि।
- **आगे की राह:**
  - FATF मानकों को वैश्विक स्तर पर लागू करना।
  - क्रिप्टो-मुक्त क्षेत्रों से निपटना (VASPs को विनियमित करना)।
  - अंतर्राष्ट्रीय सहयोग (पलेर्मो कन्वेंशन, UNCAC आदि)।
  - प्रौद्योगिकी (AI, ब्लॉकचेन आदि) अपनाना, समन्वय में सुधार करना इत्यादि।
  - मनी लॉन्ड्रिंग (ML) और आतंकवाद का वित्त-पोषण कमजोर कड़ियों का फायदा उठाते हैं।
  - एक मजबूत, तकनीक-सक्षम व वैश्विक रूप से समन्वित सार्वजनिक-निजी दृष्टिकोण आवश्यक है।

2.5.2. वित्तीय कार्रवाई कार्य-बल (FATF) {Financial Action Task Force (FATF)}

FATF की **"कॉम्प्लेक्स प्रोलिफरेशन फाइनेंसिंग एंड सैंक्शन इवेजन स्कीम्स"** रिपोर्ट सामूहिक विनाश के हथियारों के प्रसार के वित्त-पोषण को रोकने हेतु **लगाए गए वैश्विक प्रतिबंधों** से बचने के नए तरीकों को उजागर करती है।

FATF के बारे में

- इसकी स्थापना **1989 में G-7 शिखर सम्मेलन** में की गई थी। यह अवैध धन को ट्रैक करने और उस पर कार्रवाई करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक निर्धारित करता है। कमजोर उपाय करने वाले **देशों/ क्षेत्रों की पहचान** करता है।
- **सूचियां: ग्रे लिस्ट** (देश, जो अपने कानूनों में व्याप्त कमियों को दूर कर रहे हैं); **ब्लैक लिस्ट** (कार्रवाई में गंभीर कमियों वाले देश)।
- **सदस्य:** भारत सहित 40 सदस्य देश। 200 से अधिक देश FATF के मानकों को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

FATF कम प्रभावी है क्योंकि:				
निष्पक्षता का अभाव (सर्वसम्मति से निर्णय)	**जमीनी कार्रवाई की बजाय तकनीकी स्तर पर नियमों के लागू करने पर ज़ोर** (पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से हटाया गया)	**सूची में शामिल करने की व्यवस्था में खामियां** (लचीली प्रतिक्रिया का अभाव)	**ग्लोबल साउथ की आवाज़ों को अधिक महत्त्व नहीं देना** (संसाधनों का अभाव)	**आतंकवाद के वित्त-पोषण के नए स्रोतों का उभरना** (क्रिप्टोकरेंसी)

आगे की राह

- **पारदर्शिता में सुधार** (खुली नियुक्तियां, नौकरी की सुरक्षा आदि);
- **ग्रे लिस्ट में वर्गीकरण** (इच्छा के आधार पर);
- गरीब देशों के लिए समर्थन;
- **उभरते खतरों (आभासी संपत्ति) के लिए क्षमता निर्माण,** और वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देना (संयुक्त राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक व क्षेत्रीय समूह) इत्यादि।

2.5.3. मादक पदार्थों की तस्करी (Drug Trafficking in India)

स्थिति: 2022 में 292 मिलियन लोग मादक पदार्थों का उपयोग कर रहे थे, जो 10 वर्षों में **20% की वृद्धि** है (वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2024)।

मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़े प्रमुख मुद्दे	
राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा	**नार्को-आतंकवाद,** आतंकवाद का वित्त-पोषण और वामपंथी उग्रवाद आदि।
बढ़ते सामाजिक अपराध	**युवाओं में नशे की लत** और लोक स्वास्थ्य पर प्रभाव, नशीली दवाओं द्वारा संस्थागत भ्रष्टाचार आदि।
पर्यावरण को नुकसान	**अवैध खेती** (जैसे उत्तराखंड में भांग उगाना) के कारण

चुनौतियां

- भारत **"डेथ ट्रायंगल"** (म्यांमार, थाईलैंड व लाओस) और **"डेथ क्रिसेंट"** (अफगानिस्तान, ईरान एवं पाकिस्तान) के बीच एक **"ट्रांजिट हब"** है।

- **साइबर-सक्षम तस्करी** (डार्क वेब, क्रिप्टो-मार्केट आदि)।
- **अवैध ऑनलाइन फार्मेसियों** का प्रसार।

नियंत्रण के लिए उठाए गए कदम

- NDPS अधिनियम, 1985 के तहत कानूनी ढांचा।
- **SIMS** और **NIDAAN** जैसे डेटाबेस।
- राज्य-स्तरीय **एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स (ANTF)।**
- संयुक्त राष्ट्र सम्मेलनों (1961 नारकॉटिक्स, UNCAC, UNTOC आदि) के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग।

आगे की राह

- **एजेंसियों के बीच समन्वय** और डेटा साझाकरण बढ़ाना।
- क्रिप्टो और ऑनलाइन दवा बाजारों को विनियमित करने के लिए तकनीक का लाभ उठाना।
- NDPS प्रवर्तन को मजबूत करना और **नशा मुक्त भारत अभियान** के प्रभाव का विस्तार करना।

2.6. भारत में आतंकवाद (Terrorism In India)

- **वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025** में भारत **14वें स्थान** पर है।
- **प्रमुख चुनौतियां:** आतंकवाद की कोई परिभाषा नहीं, राज्य प्रायोजित आतंकवाद, प्रत्यर्पण में देरी, कट्टरपंथी विचारधाराएं, अनाम वित्त-पोषण (क्रिप्टो, क्राउडफंडिंग, ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म आदि)।
- **भारत के प्रयास:** नया सुरक्षा सिद्धांत 2025 (शून्य सहनशीलता नीति), UPA 1967, NIA, **NATGRID,** गृह मंत्रालय के प्रभाग (आतंकवाद-रोधी, कट्टरपंथ-रोधी, साइबर सुरक्षा आदि)।
- **वैश्विक पहलें:** FATF, UN CT रणनीति, UNSC CTC, GCTF, SCO-RATS, नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन आदि।

2.6.1. भारत का नया सुरक्षा सिद्धांत (India's New Security Doctrine)

भारत ने नए सुरक्षा सिद्धांत की रूपरेखा प्रस्तुत की, जो **आतंकवाद-रोधी रणनीति में एक बड़ा बदलाव है।**

भारत के नए सुरक्षा सिद्धांत के प्रमुख स्तंभ

स्तंभ	महत्त्व
भारत की शर्तों पर निर्णायक प्रतिशोध में	जवाबी कार्रवाई की सहन-सीमा के स्तर को कम किया; आतंकवाद का समर्थन करने वाले पक्ष को भी व्यापक क्षति आदि।
परमाणु हमले की धमकी के प्रति 'जीरो टॉलरेंस'	आतंकवादी ठिकानों पर जोरदार हमले, आत्मरक्षा को प्राथमिकता आदि।
आतंकवाद के समर्थकों और आतंकवादियों के बीच कोई भेद नहीं किया जाएगा	राज्य प्रायोजित आतंकवाद को अब समर्थक राज्य द्वारा युद्ध की कार्रवाई माना जाएगा।

2.6.2. राज्य प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ भारत के कूटनीतिक प्रयास (India's Diplomatic Outreach Against State Sponsored Terrorism)

- भारत ने 30 से ज्यादा देशों में उच्च-स्तरीय बहुदलीय प्रतिनिधिमंडल भेजे।

प्रभावशीलता

- आत्मरक्षा को वैध बनाना (ऑपरेशन सिंदूर के लिए संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 51 का आह्वान)।
- आतंकवाद पर शून्य-सहिष्णुता नीति (CCIT अपनाने का आग्रह)।
- वैश्विक समर्थन का निर्माण (आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई के रूप में, धर्म के विरुद्ध नहीं)।
- वैश्विक प्रतिष्ठा में वृद्धि।

राजनयिक पहुंच में प्रमुख बाधाएं

- **भारत और पाकिस्तान का री-हाइफनेशन** (जैसे- अमेरिकी मध्यस्थता का दावा), **वैश्विक समन्वय का अभाव** (पाकिस्तान पर कोई प्रतिबंध नहीं)।
- **पाकिस्तान के वैश्विक लाभ** (संयुक्त राष्ट्र समितियों की अध्यक्षता, पाकिस्तान को निरंतर आर्थिक सहायता आदि)।
- **संक्षिप्त वैश्विक ध्यान** (ध्यान भटकाने वाले अन्य संकट)।

2.6.3. सीमा-पार संगठित अपराध: एक नज़र में (Transnational Organised Crimes at a Glance)

- **सीमा-पार संगठित अपराध (TNOC):** वित्तीय या भौतिक लाभ के लिए सीमाओं के पार संगठित आपराधिक गतिविधियां।

TNOC के प्रकार						
मादक द्रव्यों की तस्करी	**मानव दुर्व्यापार**	**प्रवासियों की तस्करी**	**काले धन को वैध बनाना**	**हथियारों का दुर्व्यापार**	**पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले अपराध**	**साइबर अपराध**

- **TNOC पर अंकुश लगाने में चुनौतियां:** सीमा-पार जटिलता, कानूनी और नीतिगत खामियां, जनसांख्यिकीय संकट, आर्थिक असमानता आदि।
- **TNOC से निपटने के उपाय:**
  - **राष्ट्रीय:** संवैधानिक (अनुच्छेद 23) और वैधानिक ढांचा **(अनैतिक तस्करी रोकथाम अधिनियम, 1956),** समुद्री सुरक्षा, राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो (NCB) आदि।
  - **वैश्विक: संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, अपराध निवारण और आपराधिक न्याय पर संयुक्त राष्ट्र आयोग (UN CCPCJ),** FATF, इंटरपोल आदि।
- **आगे की राह:** जवाबदेही बढ़ाना (अपराध को बढ़ावा देने वाले देशों के लिए), पुनर्वास पर ध्यान केंद्रित करना, कानून प्रवर्तन (विशेष प्रशिक्षण, खुफिया जानकारी) बढ़ाना, वित्तीय प्रणालियों को सुरक्षित करना आदि।

2.7. युद्ध के उभरते आयाम (Emerging Dimensions of Warfare)

2.7.1. आधुनिक वारफेयर में अडैप्टिव डिफेंस और अग्रणी प्रौद्योगिकियां (Adaptive Defense and Frontier Technologies in Modern Warfare)

- **अडैप्टिव डिफेंस:** उभरते खतरों का मुकाबला करने के लिए रणनीतिक व विकसित होता रक्षा मॉडल।
- **अग्रणी प्रौद्योगिकियां:** डिजिटलीकरण और कनेक्टिविटी द्वारा संचालित तेजी से विकसित होते नवाचार।

महत्त्व		
केवल सीमाओं की सुरक्षा से परे भविष्य को **सुरक्षित** करना।	**पारंपरिक (सशस्त्र आक्रमण) और गैर-पारंपरिक (मादक पदार्थों की तस्करी)** चुनौतियों का समाधान करना।	**सूचना युद्ध** के खतरे का मुकाबला करना।

- **अग्रणी प्रौद्योगिकियों द्वारा उत्पन्न चुनौतियां**
  - **अस्थिरता का बढ़ता जोखिम** (विषमता, गैर-राज्य अभिकर्ताओं तक प्रसार),
  - कानूनी कमियां (अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का अभाव),
  - दोहरे उपयोग की दुविधा, AI सक्षम हथियारों की होड़,
  - एल्गोरिदम संबंधी पूर्वाग्रह और जवाबदेही के मुद्दे आदि।
- **भारत द्वारा उठाए गए कदम:** रक्षा AI परिषद और DAIPA, **प्रोजेक्ट सीकर (AI आधारित निगरानी), अंतरिक्ष अभ्यास-2024 (अंतरिक्ष वारफेयर क्षमता को एकीकृत करने के लिए)** आदि।

2.7.2. हाइब्रिड वारफेयर (Hybrid Warfare)

- **परिभाषा:** हाइब्रिड वारफेयर **पारंपरिक युद्ध-नीतियों** (काइनेटिक वारफेयर) और **गैर-पारंपरिक रणनीतियों** (नॉन-काइनेटिक वारफेयर) का मिश्रण है। इसका उपयोग अक्सर **पूर्ण युद्ध का सहारा लिए बिना** राजनीतिक या सामरिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है।
  - हाइब्रिड युद्ध, **ग्रे ज़ोन वारफेयर (GZW)** की एक रणनीति है। GZW एक व्यापक अवधारणा है, जिसमें **शांति और खुले युद्ध के बीच की स्थिति में अपनाई जाने वाली संघर्ष तकनीकों को शामिल** किया जाता है।

हाइब्रिड वारफेयर की मुख्य विशेषताएं			
कम लागत (प्रत्यक्ष दोषारोपण से बचाता है)	**मनोवैज्ञानिक युद्ध/ सूचना युद्ध** (उदाहरण: चीन द्वारा अरुणाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों का नाम बदलना)	**हमले करने आसान** (साइबर, AI, डिजिटल उपकरण आदि)	वैश्विक नियमों का अभाव

- **भारत को सुभेद्य बनाने वाले कारक: शत्रुतापूर्ण पड़ोसी, आंतरिक अशांति,** उभरती आतंकवादी रणनीतियां, अर्थव्यवस्था का डिजिटलीकरण आदि।
- **भारत की तैयारी:** रक्षा आधुनिकीकरण **(DRDO का दुर्गा-II),** संरचनात्मक सुधार, वैश्विक साझेदारियां, संसदीय निगरानी आदि।

- **आगे की राह:**
  - महत्वपूर्ण प्रणालियों का नियमित ऑडिट,
  - आक्रामक/ रक्षात्मक कार्रवाई के लिए हाइब्रिड वारफेयर डिवीजन,
  - संपूर्ण सरकारी रणनीति (NSCS के नेतृत्व में),
  - वास्तविक समय तकनीक-आधारित प्रतिक्रिया (रोबोट, ड्रोन, स्मार्ट तकनीक) आदि।

2.8. अंतरिक्ष का शस्त्रीकरण (Space Weaponization)

- **परिभाषा:** इसका आशय **बाह्य अंतरिक्ष में हथियार स्थापित करने** या ऐसे हथियारों का निर्माण करने से है, जो अंतरिक्ष में लक्ष्यों को नष्ट करने में सक्षम होते हैं।
- **अंतरिक्ष शस्त्रीकरण के कारण:** युद्ध में श्रेष्ठता, उपग्रह सुरक्षा (जैसे- मिशन शक्ति), दोहरे उपयोग वाली प्रौद्योगिकियां, कमज़ोर संधियां।
- **पहलें: बाह्य अंतरिक्ष संधि (1967),** PAROS (संयुक्त राष्ट्र पहल), आंशिक परीक्षण प्रतिबंध संधि (1963), आर्टेमिस समझौता आदि।
- **आगे की राह:** कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि (PAROS को लागू करना), अंतरिक्ष डोमेन जागरूकता (निगरानी प्रणालियों को बढ़ावा देना), पारदर्शिता और विश्वास निर्माण (UNOOSA के साथ डेटा साझा करना) आदि।

VISIONIAS INSPIRING INNOVATION

SANDHAN

संधान के जरिए पर्सनलाइज्ड तरीके से UPSC प्रीलिम्स की तैयारी कीजिए

(ऑल इंडिया GS प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज के तहत पर्सनलाइज्ड टेस्ट सीरीज)

UPSC प्रीलिम्स की तैयारी के लिए सिर्फ मॉक टेस्ट देना ही काफी नहीं होता है; बल्कि इसके लिए स्मार्ट तरीके से टेस्ट की प्रैक्टिस भी जरूरी होती है।

अभ्यर्थियों की तैयारी के अलग-अलग स्तरों और उनकी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए, हमने संधान टेस्ट सीरीज को डिजाइन किया है। यह ऑल इंडिया GS प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज के तहत ही एक पर्सनलाइज्ड टेस्ट सीरीज है।

संधान की मुख्य विशेषताओं पर एक नज़र

प्रश्नों का विशाल संग्रह: इसमें UPSC द्वारा विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों (PYQs) के साथ-साथ VisionIAS द्वारा तैयार किए गए 25,000 से अधिक उच्च गुणवत्ता वाले प्रश्न उपलब्ध हैं।

पर्सनलाइज्ड टेस्ट: अभ्यर्थी अपनी जरूरत के अनुसार विषयों और टॉपिक्स का चयन करके पर्सनलाइज्ड टेस्ट तैयार कर सकते हैं।

प्रश्नों के चयन में फ्लेक्सिबिलिटी: अभ्यर्थी टेस्ट के लिए Vision IAS द्वारा तैयार किए गए प्रश्नों या UPSC के विगत वर्षों के प्रश्नों में से चयन कर सकते हैं।

समयबद्ध मूल्यांकन: अभ्यर्थी परीक्षा जैसी स्थितियों को ध्यान में रखते हुए तय समय-सीमा में टेस्ट के जरिए अपने टाइम मैनेजमेंट स्किल का मूल्यांकन कर उसे बेहतर बना सकते हैं।

प्रदर्शन में सुधार: टेस्ट में अभ्यर्थी के प्रदर्शन के आधार पर, सुधार की गुंजाइश वाले क्षेत्रों पर पर्सनलाइज्ड फीडबैक दिया जाएगा।

स्टूडेंट डैशबोर्ड: स्टूडेंट डैशबोर्ड की सहायता से अभ्यर्थी हर विषय में अपने प्रदर्शन और ओवरऑल प्रगति को ट्रैक कर सकेंगे।

संधान के मुख्य लाभ

अपनी तैयारी के अनुरूप प्रैक्टिस: अभ्यर्थी अपनी जरूरतों के हिसाब से विषयों और टॉपिक्स का चयन कर सकते हैं। इससे अपने मजबूत पक्षों के अनुरूप तैयारी करने में मदद मिलेगी।

पर्सनलाइज्ड असेसमेंट: अभ्यर्थी अपनी आवश्यकता के अनुसार टेस्ट तैयार करने के लिए Vision IAS द्वारा तैयार प्रश्नों या UPSC में पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्नों का चयन कर सकते हैं।

कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज: प्रश्नों के विशाल भंडार की उपलब्धता से सिलेबस की संपूर्ण तैयारी सुनिश्चित होगी।

लक्षित तरीके से सुधार: टेस्ट के बाद मिलने वाले फीडबैक से अभ्यर्थियों को यह पता लग सकेगा कि उन्हें किन विषयों (या टॉपिक्स) में सुधार करना है। इससे उन्हें तैयारी के लिए बेहतर रणनीति बनाने में सहायता मिलेगी।

प्रभावी समय प्रबंधन: तय समय सीमा में प्रश्नों को हल करने से टाइम मैनेजमेंट के लिए कौशल विकसित करने में मदद मिलेगी।

आत्मविश्वास में वृद्धि: कस्टमाइज्ड सेशन और फीडबैक से परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों की तैयारी का स्तर तथा उनका आत्मविश्वास बढ़ता है।

यह अपनी तरह की एक इनोवेटिव टेस्ट सीरीज है। संधान के जरिए, अभ्यर्थी तैयारी की अपनी रणनीति के अनुरूप टेस्ट की प्रैक्टिस कर सकते हैं। इससे उन्हें UPSC प्रीलिम्स पास करने के लिए एक समग्र तथा टार्गेटेड अप्रोच अपनाने में मदद मिलेगी।

रजिस्ट्रेशन करने और "ऑल इंडिया GS प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज" का ब्रोशर डाउनलोड करने के लिए दिए गए QR कोड को स्कैन कीजिए

संधान पर्सनलाइज्ड टेस्ट कैसे एक परिवर्तनकारी प्लेटफ़ॉर्म बन सकता है, यह जानने के लिए QR कोड को स्कैन कीजिए

अहमदाबाद | बेंगलूरु | भोपाल | चंडीगढ़ | दिल्ली | गुवाहाटी | हैदराबाद | जयपुर | जोधपुर | लखनऊ | प्रयागराज | पुणे | राँची

3. सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा संबंधी चुनौतियां और उनका प्रबंधन (Security Challenges and their Management in Border Areas)

3.1. कारगिल युद्ध के 25 साल (25 Years of Kargil War)

- **कारगिल युद्ध के कारण:**
  - **राजनीतिक-रणनीतिक:** कश्मीर का अंतर्राष्ट्रीयकरण, नियंत्रण रेखा में बदलाव, सियाचिन में भारत के अधिकार वाले क्षेत्रों से बेहतर सौदेबाजी करना आदि।
  - **सैन्य/ छद्म युद्ध:** श्रीनगर-लेह मार्ग पर अवरोध उत्पन्न करना, तुरतुक/ सियाचिन में भारतीय सुरक्षा बलों को घेरना, जम्मू-कश्मीर में उग्रवाद को बढ़ावा देना आदि।

कारगिल समीक्षा समिति (KRC) द्वारा पहचाने गए प्रमुख मुद्दे			
खुफिया तंत्र की विफलता (लाहौर घोषणा-पत्र पर अधिक विश्वास)	**निम्न तकनीक** (खराब उपग्रह प्रणाली, UAV, HUMINT आदि)	**रक्षा क्षेत्रक को बहुत कम वित्त-पोषण**	स्पष्ट सुरक्षा नीति का अभाव

रक्षा संरचना को मजबूत करने के लिए प्रमुख पहलें (कारगिल के बाद)	
आसूचना	राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन (NTRO), दैनिक खुफिया जानकारी साझा करने के लिए मल्टी एजेंसी सेंटर (MAC) आदि।
राष्ट्रीय सुरक्षा प्रबंधन	राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद (NSC) में सुधार, प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में परमाणु कमान प्राधिकरण (2003), चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) का गठन (2019)।
रक्षा आधुनिकीकरण	अग्निपथ योजना, रक्षा उत्पादन/ स्वदेशीकरण (DAP 2020, सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची, सृजन पोर्टल, ADITI), रक्षा ऑफसेट नीति आदि।
सीमा प्रबंधन	स्मार्ट फेंसिंग (BOLD-QIT), सीमा अवसंरचना एवं प्रबंधन (BIM) योजना, जीवंत ग्राम कार्यक्रम (VVP)

- **आगे की राह (KRC की सिफारिशें):** इलेक्ट्रॉनिक और संचार खुफिया एजेंसी बनानी चाहिए; युद्ध दस्तावेजों को गोपनीय सूची से हटाना चाहिए; सैन्य-मीडिया तालमेल बढ़ाना चाहिए; सभी स्तरों पर नागरिक-सैन्य संपर्क स्थापित करना चाहिए आदि।

3.2. समुद्री सुरक्षा (Maritime Security)

- **आवश्यकता:** सुभेद्यताएं (26/11 हमला, समुद्री डकैती), भू-सामरिक हित, आर्थिक महत्त्व (हिंद महासागर क्षेत्र से 80% विदेशी व्यापार, 90% ऊर्जा व्यापार) आदि।
- **समुद्री सुरक्षा के समक्ष चुनौतियां:** समुद्री डकैती, समुद्री आतंकवाद, भू-राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता (अमेरिका बनाम चीन), उदासीन राज्य सरकार, पर्यावरणीय जोखिम आदि।
- **उठाए गए कदम:**
  - **निगरानी और समन्वय:** सागर कवच, समुद्री थिएटर कमान (MTC) का प्रस्ताव, सूचना संलयन केंद्र - हिंद महासागर क्षेत्र (IFC-IOR) आदि।
  - **क्षेत्रीय सहयोग** (SAGAR, MAHASAGAR) आदि।
  - तटीय नौवहन विधेयक, 2024 आदि।
- **आगे की राह:**
  - **5-सूत्री ढांचा** (मुक्त व्यापार, विवाद समाधान, संपर्क, खतरे का समाधान, पर्यावरण संरक्षण आदि);
  - **एकीकृत कमान संरचना को मजबूत करना** (MTC में तेजी लाना), समुद्री सहयोग को गहरा करना (IORA, IONS, QUAD, संयुक्त नौसैनिक अभ्यास), नीली अर्थव्यवस्था की क्षमता को बढ़ावा देना (संधारणीय मत्स्य पालन) आदि।

4. सुरक्षा बल (Security Forces)

4.1. रक्षा आधुनिकीकरण (Defence Modernisation)

4.1.1. सशस्त्र बलों का आधुनिकीकरण (Modernisation of Armed Forces)

- **आवश्यकता:** सामरिक खतरे (IOR में चीन), उपकरणों की कमी (विमान, पनडुब्बी), हाइब्रिड और साइबर युद्ध, HADR क्षमताएं आदि।

सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण में चुनौतियां	
बजट आवंटन	वेतन/ पेंशन के लिए बड़ा हिस्सा, पूंजीगत व्यय/ अनुसंधान एवं विकास का सीमित होना आदि।
मंद निर्णय-निर्माण प्रक्रिया	अधिग्रहण अनुबंधों को अंतिम रूप देने में लगभग 7-9 वर्ष का समय लगना।
तकनीकी सीमाएं	उन्नत प्रणालियों/ घटकों के स्वदेशी डिजाइन/ निर्माण के लिए गहन इकोसिस्टम का अभाव।
बाधित संरचनात्मक सुधार	सेवाओं के बीच प्रतिद्वंद्विता/ आम सहमति की कमी के कारण एकीकृत कमान में देरी होना आदि।

- **उठाए गए कदम:**
  - **सुधारों का वर्ष (2025),**
  - **अंतर-सेवा संगठन अधिनियम 2023,** संयुक्त आदेशों के लिए CDS को सशक्त बनाया गया,
  - DAP 2020, सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची, SRIJAN पोर्टल, ADITI, iDEX योजनाएं,
  - स्वचालित मार्ग से 74% FDI,
  - मिशन डेफस्पेस, मिशन शक्ति (ASAT) आदि।
- **आगे की राह:**
  - गैर-समाप्ति योग्य रक्षा आधुनिकीकरण कोष **(15वें वित्त आयोग द्वारा प्रस्तावित),**
  - BRADS (रामा राव समिति),
  - **रक्षा व्यय को पुनर्संतुलित करने के लिए शेकटकर समिति की सिफारिशें,** रक्षा-उद्योग-अकादमिक सहयोग आदि।

4.2. एकीकृत थिएटर कमान (Integrated Theatre Commands: ITCs)

- **ITCs के बारे में:** ये एकीकृत त्रि-सेवा संगठन हैं, जो विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्रों में युद्ध अभियानों/ आंतरिक सुरक्षा के लिए जिम्मेदार हैं।
- **वर्तमान संरचना:** भारतीय सेना में **19 कमांड हैं: (17 एकल-सेवा कमांड; तथा 2 त्रि-सेवा कमांड: अंडमान व निकोबार कमांड एवं सामरिक बल कमांड)।**
- **ITC का समर्थन करने वाली प्रमुख पहलें:** अंतर-सेवा संगठन (कमांड, नियंत्रण और अनुशासन) नियम, 2025; चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS); सैन्य मामलों का विभाग (DMA); मुख्यालय एकीकृत रक्षा स्टाफ (IDS) आदि।
- **चुनौतियां:** कोई स्पष्ट राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति नहीं; इंटरऑपरेबिलिटी के मुद्दे (अलग-अलग उपकरण); संसाधन सीमाएं (वायु सेना का समर्थन); सेवाओं से प्रतिरोध आदि।

ITC का लक्ष्य भारत की सैन्य संरचना को सुव्यवस्थित करना, संयुक्तता बढ़ाना और आधुनिक युद्ध में तीव्र व समन्वित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करना है। हालांकि, इसकी सफलता के लिए रणनीति, रसद और इंटरऑपरेबिलिटी से संबंधित चुनौतियों का समाधान करना महत्वपूर्ण है।

4.3. वैश्विक एजेंसियां (Global Agencies)

4.3.1. इंटरपोल (INTERPOL)

वीज़ा संबंधी धोखाधड़ी में वांछित पूर्व फ्रांसीसी दूतावास अधिकारी की वैश्विक संपत्तियों का पता लगाने के **भारत के अनुरोध पर इंटरपोल ने सिल्वर नोटिस** जारी किया।

सिल्वर नोटिस के बारे में:

- इंटरपोल के कलर-कोडेड नोटिस (सहयोग/ अलर्ट के लिए अंतर्राष्ट्रीय अनुरोध) में **नवीनतम समावेशन।**
- **उद्देश्य:** विदेश में भी भगोड़ों/ आरोपियों की संपत्तियों का पता लगाना/ जानकारी एकत्र करना।

इंटरपोल के बारे में:

- 1923 में ICPC के रूप में स्थापित, 1956 में इंटरपोल बन गया।

- **सदस्य:** 196 (भारत संस्थापक सदस्य है)।
  - CBI, इंटरपोल के लिए भारत का **राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो (NCB)** है और इसने भारतपोल पोर्टल विकसित किया है।
- **शासी निकाय:** आम सभा, कार्यकारी समिति आदि।

अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग की आवश्यकता		
सीमा-पार अपराध (धन शोधन, दुर्व्यापार व तस्करी जैसे- ऑपरेशन HAECHI)	साइबर अपराध, कट्टरपंथीकरण व तस्करी जैसे **आधुनिक खतरे** (जैसे, ऑपरेशन सेरेन्गेटी, ऑपरेशन FLASH-WEKA)	आतंकवाद-रोधी, कानूनी समर्थन, संसाधन साझाकरण आदि।

- **अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग में बाधाएं:**
  - कानूनी/ प्रक्रियात्मक असमानताएं,
  - सांस्कृतिक बाधाएं (भाषा, टकराव, भ्रष्टाचार),
  - संसाधन संबंधी बाधाएं (तकनीकी असमानताएं),
  - राजनीतिक उदासीनता (तनाव, परस्पर विरोधी राष्ट्रीय हित) आदि।

इन चुनौतियों के बावजूद निरंतर सहयोग, तकनीकी प्रगति और कूटनीतिक प्रयास वैश्विक पुलिस व्यवस्था को मजबूत बनाते हैं। परस्पर जुड़ी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग अपरिहार्य है।

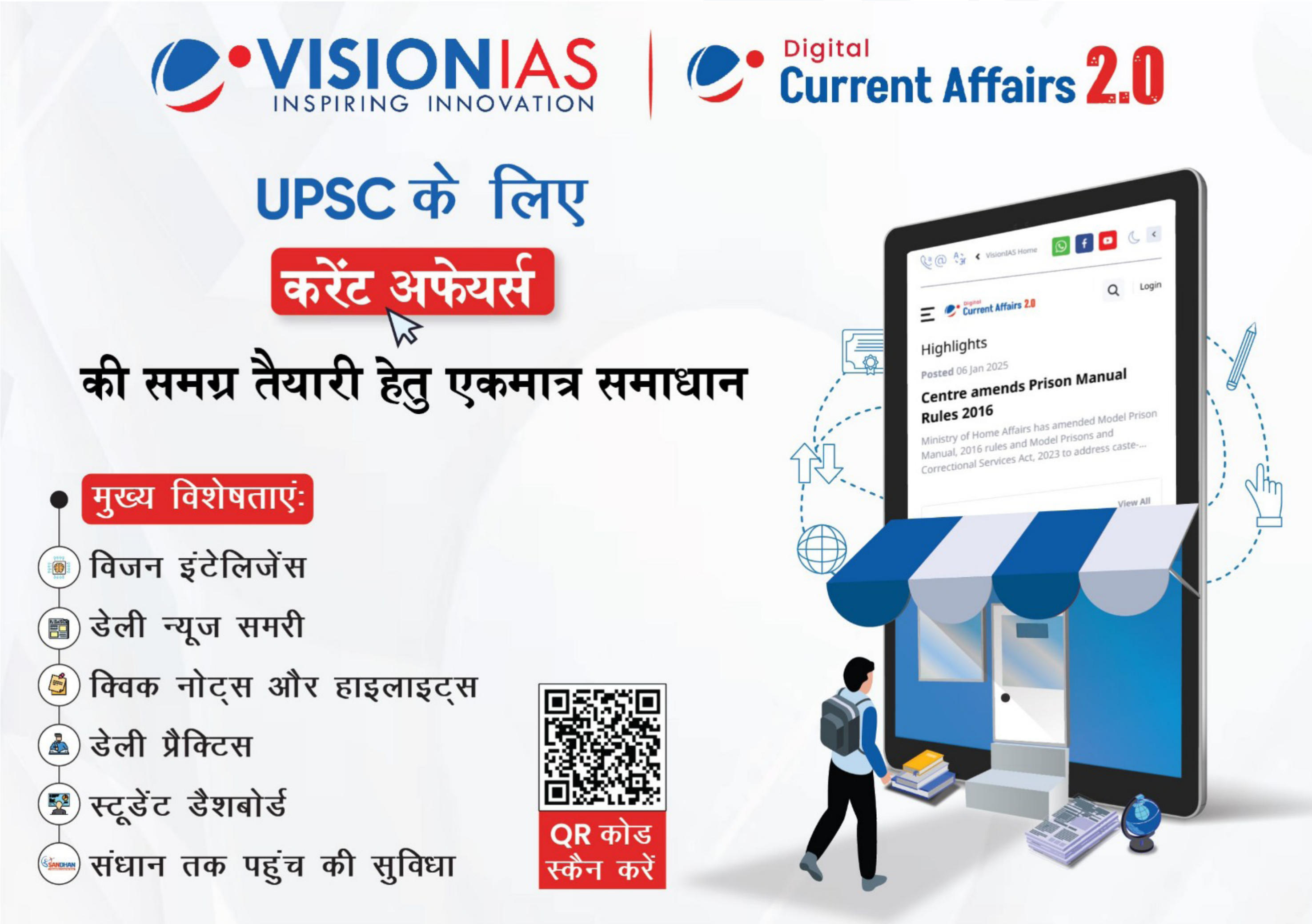

VISION IAS
INSPIRING INNOVATION

www.visionias.in
8468022022, 9019066066

VISION IAS के PT 365 के साथ UPSC प्रीलिम्स में करेंट अफेयर्स की चुनौतियों में महारत हासिल कीजिए

करेंट अफेयर्स की तैयारी कैसे करें

करेंट अफेयर्स सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी की आधारशिला है, जो प्रीलिम्स, मेन्स और इंटरव्यू तीनों चरणों में जरूरी होता है। करेंट अफेयर्स से अपडेट रहना अभ्यर्थी को सिविल सेवा परीक्षा के नए ट्रेंड को समझने में सक्षम बनाता है। सही रिसोर्सेज और एक रणनीतिक दृष्टिकोण के जरिए अभ्यर्थी इस विशाल सेक्शन को अपना सकारात्मक पक्ष बना सकते हैं।

PT 365 क्या है?

PT 365 (हिंदी) डाक्यूमेंट के अंतर्गत, व्यापक तौर पर विगत 1 वर्ष (365 दिन) के महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाओं को ठोस तरीके से कवर किया जाता है ताकि प्रीलिम्स की तैयारी में अभ्यर्थियों को सहायता मिल सके। इसे करेंट अफेयर्स के रिविजन हेतु एक डॉक्यूमेंट के रूप में तैयार किया गया है।

PT365 की विशेषताएं

व्यापक कवरेज
- पूरे साल के करेंट अफेयर्स की कवरेज।
- UPSC हेतु प्रासंगिक विषय, जैसे– राजव्यवस्था, अर्थव्यवस्था, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, आदि।
- आगामी प्रारंभिक परीक्षा में आने वाले संभावित विषयों पर जोर।

स्पष्ट एवं संक्षिप्त जानकारी
- प्रमुख मुद्दों के लिए स्पष्ट एवं संक्षिप्त प्रस्तुति
- विश्वसनीय स्रोतों से जानकारी
- तेजी से रिविजन के लिए परिशिष्ट

QR आधारित स्मार्ट क्विज
- अभ्यर्थियों की समझ और पढ़े गए आर्टिकल्स के परीक्षण के लिए QR आधारित स्मार्ट क्विज़ को शामिल किया गया है।

इन्फोग्राफिक्स
- आर्टिकल्स एवं तथ्यों को समझने और याद रखने में सहायता मिलती है।
- आर्टिकल्स को समझाने के लिए अलग–अलग तकनीक, विधियों और प्रक्रियाओं का इस्तेमाल।
- लर्निंग को बेहतर बनाने के लिए मानचित्रों का रणनीतिक उपयोग किया गया है।

सरकारी योजनाएं और नीतियां
- प्रमुख सरकारी योजनाओं, नीतियों और पहलों की गहन कवरेज।

नया क्या है?
- पिछले वर्ष के प्रश्नों के पैटर्न के अनुरूप तैयार किया गया है।

PT 365 का महत्त्व

रिविजन में आसानी: कंटेंट को विषयों या टॉपिक्स के आधार पर वर्गीकृत किया गया है, जिससे अभ्यर्थी आसानी से टॉपिक खोज सकते हैं और रिविजन आसान हो जाता है।

वैल्यू एडिशन: इसमें ऐसे इन्फोग्राफिक्स, संबंधित घटनाक्रम या सुर्ख़ियाँ शामिल हैं, जो महत्वपूर्ण जानकारी की व्यापक कवरेज सुनिश्चित करते हैं।

क्रिस्प मटेरियल: आर्टिकल्स में क्रिस्प पॉइंट्स का प्रयोग किया गया है। इससे अभ्यर्थियों को सीमित समय में आसानी से कई बार रिविजन करने में सुविधा मिलती है।

इंटीग्रेटेड एप्रोच: UPSC में पूछे गए प्रश्नों के पिछले ट्रेंड के अनुरूप ही करेंट अफेयर्स की सभी बुनियादी अवधारणाओं और सूचनाओं को स्पष्ट तरीके से शामिल किया गया है। इससे स्टेटिक पार्ट और महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स को एकीकृत करने में भी मदद मिलती है।

और अधिक जानकारी के लिए दिए गए QR कोड को स्कैन कीजिए

PT 365 एक भरोसेमंद रिसोर्स है जिसने पिछले कुछ वर्षों में लाखों अभ्यर्थियों को समग्र तरीके से करेंट अफेयर्स को कवर करने में मदद की है। इसकी प्रभावशाली विशेषताओं की वजह से UPSC सिविल सेवा परीक्षा में करेंट अफेयर्स को समझने और सफल होने में अभ्यर्थियों को मदद मिलती है।

अहमदाबाद | बैंगलोर | भोपाल | चंडीगढ़ | दिल्ली | गुवाहाटी | हैदराबाद | जयपुर | जोधपुर | लखनऊ | प्रयागराज | पुणे | रांची

5. विविध (MISCELLANEOUS)

5.1. परमाणु शस्त्रागार में वृद्धि (RISE IN NUCLEAR WEAPONS ARSENAL)

SIPRI ईयर बुक, 2024 परमाणु हथियारों के विकास/ तैनाती में वृद्धि पर प्रकाश डालती है।

- **परमाणु भंडार के रुझान:** चीन और भारत अपने शस्त्रागार का विस्तार कर रहे हैं; परमाणु हथियार संपन्न देश आधुनिकीकरण कर रहे हैं (सभी 9 परमाणु-सशस्त्र देश 2024 में उन्नयन कर रहे हैं) आदि।
- **विश्व के देश परमाणु हथियार क्यों रखते हैं?**
  - सुरक्षा निवारण (परमाणु-सशस्त्र प्रतिद्वंद्वियों का प्रतिसंतुलन);
  - घरेलू दबाव (सैन्य-वैज्ञानिक-राजनीतिक लॉबी शस्त्रागार वृद्धि को बढ़ावा देती हैं)
  - प्रतिष्ठा और मानदंड।

परमाणु शस्त्रागार से उत्पन्न खतरे			
बढ़ते परमाणु जोखिम (भू-राजनीतिक तनाव, निरस्त्रीकरण में देरी)	**परमाणु दुर्घटनाओं का जोखिम** (ज़ापोरिज्जिया संयंत्र)	**उभरती चुनौतियां** (साइबर खतरे, अंतरिक्ष आधारित परमाणु हथियार जो EMPs उत्पन्न करते हैं)	**भारत-विशिष्ट खतरे** (चीन का बदलता रुख, पाकिस्तान के सामरिक परमाणु हथियार और पाकिस्तान की परमाणु नीति में 'नो फर्स्ट यूज' की कोई नीति नहीं है)

अप्रसार उपाय

- **IAEA** (शांतिपूर्ण परमाणु उपयोग को बढ़ावा देता है);
- **NPT** (प्रसार को रोकता है, भारत हस्ताक्षरकर्ता नहीं है);
- **PTBT** (वायुमंडलीय/ अंतरिक्ष/ जल के भीतर परीक्षणों पर प्रतिबंध लगाता है);
- **CTBT** (सभी परीक्षणों पर प्रतिबंध लगाता है, भारत हस्ताक्षरकर्ता नहीं है);
- **TPNW** (परमाणु गतिविधि पर प्रतिबंध लगाता है, भारत हस्ताक्षरकर्ता नहीं है); आदि।

5.2. भारत के परमाणु सिद्धांत के 25 वर्ष (25 years of India's Nuclear doctrine)

सिद्धांत के बारे में: इसमें परमाणु हथियारों की तैनाती/ उपयोग को निर्देशित करने वाले लक्ष्य/ मिशन शामिल हैं।

भारत के परमाणु सिद्धांत की प्रमुख विशेषताएं	
विश्वसनीय न्यूनतम प्रतिरोध	ऐसे परमाणु शस्त्रागार रखना, जो इतना प्रभावी हो कि किसी भी विरोधी को भारत पर हमला करने से रोक सके।
पहले उपयोग न करने की नीति (NFU)	परमाणु हमला केवल भारत या भारतीय सेना पर हुए परमाणु हमले की प्रतिक्रिया में ही किया जाएगा।
बड़े पैमाने पर जवाबी कार्रवाई	भारत पर किसी भी परमाणु हमले की स्थिति में, उसे बड़े पैमाने पर और विनाशकारी जवाबी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।
गैर-परमाणु राज्यों के खिलाफ उपयोग नहीं	भारत उन देशों के खिलाफ परमाणु हथियारों का उपयोग नहीं करेगा, जिनके पास परमाणु हथियार नहीं हैं।
निरस्त्रीकरण के लिए समर्थन	भारत एक परमाणु-मुक्त दुनिया के लिए प्रतिबद्ध है तथा वैश्विक, सत्यापन योग्य और निष्पक्ष परमाणु निरस्त्रीकरण का समर्थन करता है।

- **NFU की प्रभावकारिता**
  - **NFU के खिलाफ तर्क:** यदि भारत पहले हमले का शिकार होता है, तो हताहतों की संख्या अधिक होगी; महंगी BMD प्रणाली की आवश्यकता होगी; पाकिस्तान के खिलाफ अप्रभावी (TNWs, निम्न सीमा, कोई NFU नहीं)।
  - **NFU के पक्ष में:** रणनीतिक संयम में योगदान देता है; बहुपक्षीय व्यवस्थाओं में असैन्य परमाणु सहयोग/ समायोजन को सक्षम बनाता है; रक्षात्मक/ गैर-उग्र रुख बनाए रखता है आदि।

सिद्धांत को मजबूत करने के लिए आगे का रास्ता			
क्षमता वृद्धि (मिसाइल और तकनीकी कार्यक्रमों का विस्तार)	**रणनीतिक लचीलापन** (आनुपातिक प्रतिशोध विकल्प)	सैद्धांतिक संरेखण (बदलते खतरों के अनुसार अपडेट)	**वैश्विक नेतृत्व** (निरस्त्रीकरण की वकालत और वैश्विक स्तर पर NFU)

5.3. जैविक हथियार अभिसमय (BIOLOGICAL WEAPONS CONVENTION: BWC)

UNODA ने BWC (1975 में लागू) की 50वीं वर्षगांठ मनाई।

BWC के बारे में

- **सामूहिक विनाश के हथियारों (WMD)** के एक पूरे वर्ग पर **प्रतिबंध लगाने वाली पहली बहुपक्षीय निरस्त्रीकरण संधि।**
- **जैविक/ विषाक्त हथियारों के विकास, उत्पादन, भंडारण, अधिग्रहण, हस्तांतरण और उपयोग पर प्रतिबंध** लगाता है।
    - **जैविक हथियार** युद्ध के उन उपकरणों को कहते हैं, जो **हानिकारक जीवों (बैक्टीरिया, वायरस, कवक, विषैले पदार्थ)** को फैलाते हैं। इससे मनुष्यों/ जानवरों/ पौधों में बीमारी/ मृत्यु होती है।
    - **सदस्यता:** 188 पक्षकार (भारत सहित)।

भारत द्वारा किए गए उपाय

- खतरनाक सूक्ष्मजीवों पर नियम, 1989 (आनुवंशिक रूप से संशोधित जीवों को विनियमित करते हैं);
- सामूहिक विनाश के हथियार अधिनियम, 2005 (गैर-कानूनी WMD गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाता है);
- SCOMET सूची (दोहरे उपयोग वाली जैविक मदों का निर्यात नियंत्रण) आदि।

कार्यान्वयन में चुनौतियां			
कोई सत्यापन नहीं तंत्र (जीव विज्ञान की दोहरी उपयोग प्रकृति)	**कमजोर डेटा संग्रह** (कम भागीदारी)	**सीमित संस्थागत सहायता** (कर्मचारियों की कमी वाली कार्यान्वयन सहायता इकाई)	**राष्ट्रीय प्रवर्तन में कमियां** (जैसे- भारत में कोई केंद्रीय प्राधिकरण नहीं होना)

आगे की राह

- सत्यापन को मजबूत करना (मॉड्यूलर दृष्टिकोण);
- संस्थागत क्षमता में वृद्धि करना (संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अंतर्गत आवर्ती विशेषज्ञ समूह);
- विश्वास निर्माण उपायों या CBMs (रिपोर्टिंग के लिए AI उपकरण) में सुधार करना;
- गैर-राज्य अभिकर्ताओं से निपटना (आतंकवादियों की पहुंच को रोकने के लिए BWC को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के संकल्प 1540 के साथ संरेखित करना) आदि।

5.4. पांचवीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान AMCA (Fifth-Generation Fighter Jet AMCA)

भारत के स्वदेशी पांचवीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान, **'एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट (AMCA)'** के लिए **कार्यान्वयन मॉडल** को मंज़ूरी मिली।

AMCA कार्यक्रम का विवरण

- **उद्देश्य:** स्वदेशी पांचवीं पीढ़ी के जेट का निर्माण।
- **प्रमुख एजेंसी:** DRDO के अंतर्गत एयरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी (ADA)।
- **उद्योगों के साथ टाई-अप:** निजी/ सार्वजनिक क्षेत्र (बोलीदाता भारतीय कंपनियां होनी चाहिए)।

भारत के पांचवीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान की विशेषताएं			
दो-इंजनों से संचालित (उच्चतर सुरक्षा)	**स्टील्थ क्षमताएं** (LPIR, पता लगाना कठिन)	**सुपरक्रूज के साथ अति सक्रिय एयरफ्रेम** (उच्च गतिशीलता सुपरसोनिक गति से उड़ान भरने की क्षमता)	**एडवांस एवियोनिक्स और इंटीग्रेटेड कंप्यूटर सिस्टम** (नेटवर्किंग, 360 डिग्री युद्धक्षेत्र का दृश्य मिलता है।)

- **प्रमुख परिचालनात्मक पांचवीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान:** अमेरिका (F-22 और F-35), रूस (सुखोई Su-57) और चीन (चेंगदू J-20)।

AMCA का सामरिक महत्त्व

- भारतीय वायुसेना का आधुनिकीकरण (क्षमता अंतराल को पूरा करेगा, स्क्वाड्रन की ताकत को पुनर्स्थापित करेगा),
- क्षेत्रीय खतरे की गतिशीलता (चीन के J-20 और पाकिस्तान के J-10C की तैनाती को प्रतिसंतुलित करेगा),
- तकनीकी संप्रभुता (विदेशी निर्भरता को कम करेगा),
- आत्मनिर्भर भारत (स्वदेशी रक्षा, एयरोस्पेस इकोसिस्टम को बढ़ावा देगा) आदि।

5.5. भारत की वायु रक्षा प्रणाली (India's Air Defence System: ADS)

भारत के ADS ने **ऑपरेशन सिंदूर** के दौरान पश्चिमी सीमा पर हमलों को सफलतापूर्वक विफल कर दिया।

भारत के ADS के बारे में

- इसमें प्रमुख **सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल (SAM) प्रणालियों के साथ एकीकृत काउंटर UAS ग्रिड** शामिल है।
- **प्रमुख प्रौद्योगिकियां:**
  - **एस-400 ट्रायम्फ (रूस):** इसे भारत में **सुदर्शन चक्र** के नाम से भी जाना जाता है।
    - 360° कवरेज वाली लंबी दूरी की SAM, एक से अधिक प्रकार की मिसाइलों का उपयोग किया जा सकता है, 600 किमी तक के लक्ष्यों को ट्रैक करता है, हमले की सीमा: 400 कि.मी. तक आदि।
  - **बराक 8 (भारत-इजरायल संयुक्त):** मध्यम/ लंबी दूरी की SAM, मैक 2 गति, 100 किमी तक के कई हवाई खतरों को लक्षित करती है।
  - **आकाश हथियार प्रणाली (स्वदेशी):** कम दूरी का की SAM, ECCM से सुसज्जित, ग्रुप मोड या ऑटोनोमस मोड में एक साथ कई लक्ष्यों को निशाना बना सकती है, रेंज: 4.5 किमी से 25 किमी।

5.6. मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री-एंट्री व्हीकल (MIRV) तकनीक {Multiple Independently Targetable Re-entry Vehicle (MIRV) Technology}

DRDO ने **मिशन दिव्यास्त्र** के तहत MIRV तकनीक से लैस **स्वदेशी अग्नि-5 मिसाइल** का सफलतापूर्वक परीक्षण किया।

- **MIRV तकनीक के बारे में:** इसके जरिये मिसाइल विविध स्थानों पर निशाना साधते हुए कई परमाणु हथियार ले जा सकती है। उन्हें अलग-अलग गति के साथ अलग-अलग दिशाओं में दाग सकती है, और जमीन या पनडुब्बियों से प्रक्षेपित की जा सकती है।

MIRV तकनीक की आवश्यकता			
सेकेंड स्ट्राइक की क्षमता को बढ़ाती है।	**चीन और पाकिस्तान से MIRV** खतरों का मुकाबला।	नो फर्स्ट यूज सिद्धांत के तहत **विश्वसनीय भयादोहन** सुनिश्चित करती है।	**वैश्विक सामरिक स्थिति में वृद्धि** करती है।

- **MIRV से जुड़ी चुनौतियां:**
  - **भूमि-आधारित सुभेद्यता,** जिससे कई आयुधों के नष्ट होने का खतरा है;
  - पहले हमले के प्रलोभन के कारण **हथियारों की होड़ में वृद्धि;**
  - आयुधों के लघुकरण जैसी **तकनीकी बाधाएं;**
  - **सटीक मार्गदर्शन** और विखंडनीय सामग्री की आवश्यकता आदि।

5.7. निर्देशित ऊर्जा हथियार (Directed Energy Weapons: DEWs)

भारत ने DEWs में व्यापक निवेश किया है।

DEWs के बारे में

- **परिभाषा:** DEWs ऐसे रेंज हथियार हैं, जो **लक्ष्यों को नष्ट करने के लिए काइनेटिक एनर्जी की बजाय विद्युत चुम्बकीय या कण प्रौद्योगिकी से संकेंद्रित ऊर्जा** का उपयोग करते हैं।
- **उपयोग:** मिसाइलों/ ड्रोन को रोकना और नष्ट करने; भीड़ को गैर-घातक तरीके से नियंत्रित करने और उपग्रहों को खतरों से बचाने के लिए उपयोग किया जाता है।

DEWs (निर्देशित ऊर्जा हथियारों) के लाभ				
स्टील्थ क्षमता से युक्त (गोपनीय और अदृश्य रूप से कार्य करता है)	**उच्च गति और कम लागत:** (प्रकाश की गति से फायर, त्वरित कार्रवाई)	**सरल लॉजिस्टिक्स:** (गोला-बारूद नहीं, केवल ऊर्जा स्रोत की जरूरत)	**लचीला और अनुकूल उपयोग:** (घातक से गैर-घातक हमलों में बदला जा सकता है)	**पर्यावरण-अनुकूल:** (कम विस्फोटक/ ईंधन उपयोग, कम कार्बन उत्सर्जन)

DEWs से जुड़ी चुनौतियां

- मौसम की स्थिति लेज़र की गुणवत्ता को कम करती है।
- मलबे और घटकों के पुराने होने से आउटपुट की स्थिरता प्रभावित होती है।
- विशेषकर हाई पॉवर माइक्रोवेव हथियार अनुकूल परिसंपत्तियों को प्रभावित करने का जोखिम।
- अस्पष्ट दीर्घकालिक स्वास्थ्य और कानूनी निहितार्थ।

उठाए गए कदम: DRDO द्वारा 100 किलोवाट हल्के DEW के लिए दुर्गा-II परियोजना; ड्रोन खतरों के लिए BEL द्वारा 2 किलोवाट प्रणाली; LASTEC द्वारा कोर लेज़र तकनीक विकसित करना; मिसाइल लक्ष्यीकरण और EM व्यवधान के लिए KALI एक्सेलेरेटर आदि।

VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

OUR ACHIEVEMENTS

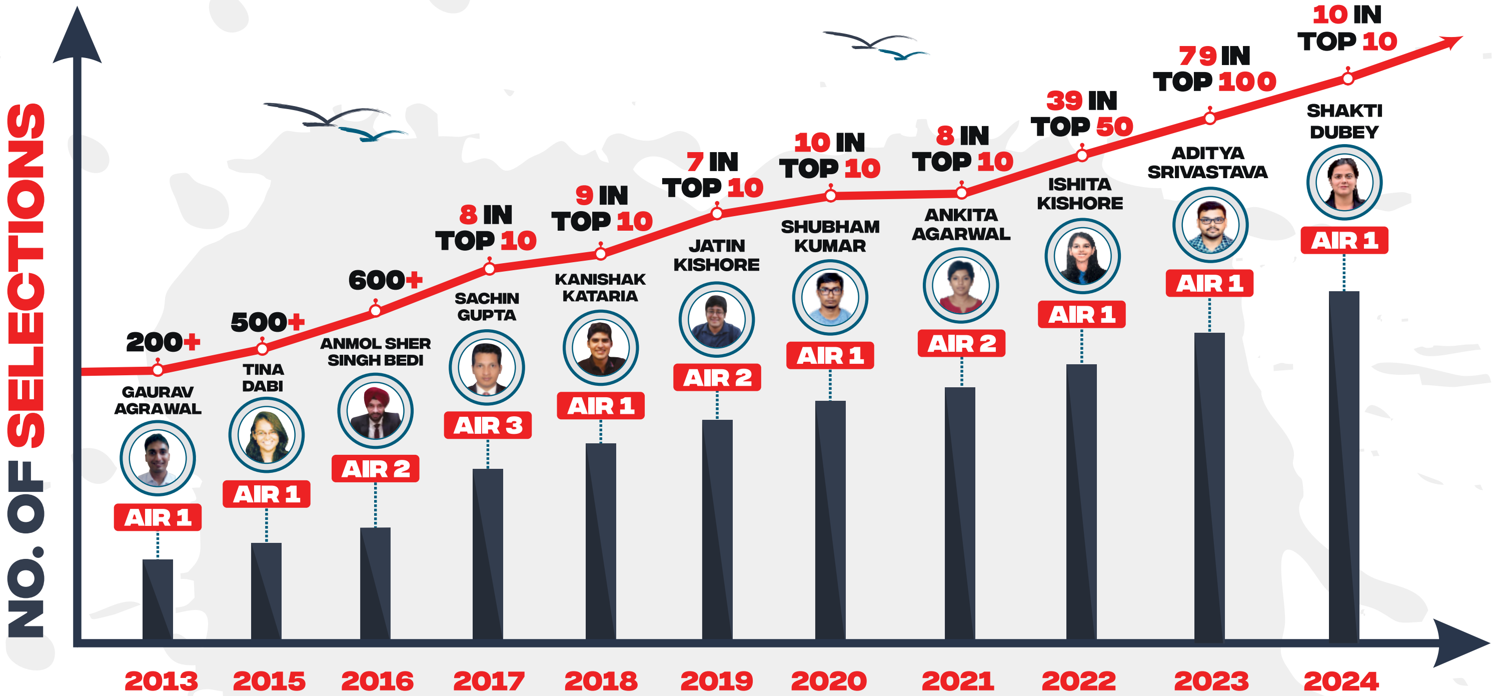

LIVE/ONLINE
Classes Available
www.visionias.in

Foundation Course
GENERAL STUDIES
PRELIMS cum MAINS 2026, 2027 & 2028

DELHI : 30 JULY, 8 AM | 7 AUGUST, 11 AM | 14 AUGUST, 8 AM
19 AUGUST, 5 PM | 22 AUGUST, 11 AM | 26 AUGUST, 2 PM | 30 AUGUST, 8 AM

GTB Nagar Metro (Mukherjee Nagar): 10 JULY, 8 AM | 29 JULY, 6 PM

हिन्दी माध्यम | 7 अगस्त, 2 PM

AHMEDABAD: 12 JULY | BENGALURU: 25 AUGUST | BHOPAL: 27 JUNE | CHANDIGARH: 18 JUNE

HYDERABAD: 30 JULY | JAIPUR: 5 AUG | JODHPUR: 10 AUG | LUCKNOW: 22 JULY | PUNE: 14 JULY

फाउंडेशन कोर्स सामान्य अध्ययन 2026

- प्रारंभिक, मुख्य परीक्षा और निबंध के लिए महत्वपूर्ण सभी टॉपिक का विस्तृत कवरेज

DELHI : 7 अगस्त, 2 PM | JAIPUR : 20 जुलाई | JODHPUR : 10 अगस्त

Scan the QR CODE to download VISION IAS App. Join official telegram group for daily MCQs & other updates.

/visionias.upsc | /c/VisionIASdelhi | /c/VisionIASdelhi | /t.me/s/VisionIAS_UPSC

DELHI: GMMR 33, Pusa Road, Near Karol Bagh Metro Station, Opposite Pillar No. 113, Delhi - 110005 | **CONTACT:** 8468022022, 9019066066

AHMEDABAD | BENGALURU | BHOPAL | CHANDIGARH | GUWAHATI | HYDERABAD | JAIPUR | JODHPUR | LUCKNOW | PRAYAGRAJ | PUNE | RANCHI

Heartiest Congratulations
to all Successful Candidates

10 in **TOP 10** Selections in **CSE 2024**
from various programs of **Vision IAS**

1 AIR
Shakti Dubey

2 AIR
Harshita Goyal
GS Foundation
Classroom Student

3 AIR
Dongre Archit Parag
GS Foundation
Classroom Student

4 AIR
Shah Margi Chirag

5 AIR
Aakash Garg

6 AIR
Komal Punia

7 AIR
Aayushi Bansal

8 AIR
Raj Krishna Jha

9 AIR
Aditya Vikram Agarwal

10 AIR
Mayank Tripathi

हिंदी माध्यम में 30+ चयन CSE 2024 में

137 AIR
Ankita Kanti

182 AIR
Ravi Raaz

438 AIR
Mamata

448 AIR
Sukh Ram

509 AIR
Amit Kumar Yadav

DELHI

HEAD OFFICE
33, Pusa Road,
Near Karol Bagh Metro Station,
Opposite Pillar No. 113,
Delhi - 110005

MUKHERJEE NAGAR CENTER
Plot No. 857, Ground Floor,
Mukherjee Nagar, Opposite Punjab
& Sindh Bank, Mukherjee Nagar

GTB NAGAR CENTER
Classroom & Enquiry Office,
above Gate No. 2, GTB Nagar
Metro Building, Delhi - 110009

FOR DETAILED ENQUIRY
Please Call:
+91 8468022022,
+91 9019066066

enquiry@visionias.in | /@visioniashindi | /visionias.upsc | /vision_ias_hindi/ | /hindi_visionias

अहमदाबाद | बेंगलूरु | भोपाल | चंडीगढ | दिल्ली | गुवाहाटी | हैदराबाद | जयपुर | जोधपुर | लखनऊ | प्रयागराज | पुणे | रांची